निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1936 (श0)
(सं0 पटना 1029) पटना, मंगलवार, 16 दिसम्बर 2014

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना
10 दिसम्बर 2014
बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) नियमावली, 2014

सं0 स0क0वि0(म0आ0)–60–16/08–2436—बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 (बिहार अधिनियम, 6, 1999) के अध्याय V की धारा–17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार राज्य महिला आयोग के कृत्यों एंव दायित्वों तथा सेवा के निबंधन और शर्त्तो को विनियमित करने एवं आयोग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, सदस्यों एवं अध्यक्ष को सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु बिहार राज्य महिला आयोग नियमावली, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ :–(1) यह नियमावली, एतद् पश्चात् ''नियमावली, 2010'' प्रति निर्देशित बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा,

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. उक्त ''नियमावली, 2010'' के नियम 3, 5 एवं 6 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे:–

3. **वेतन और भत्ते**:–(1) अधिनियम की धारा–5 में यथा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, अध्यक्ष का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य होगा एवं प्रत्येक अन्य सदस्य का वेतन राज्य सरकार के सचिव के वेतन के समतुल्य होगा।

परन्तु जहाँ अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवक हो या अर्द्ध सरकारी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान का सेवानिवृत सेवक हो, वहाँ उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपान्तिक लाभों के पेंशनरी मूल्य या दोनों सहित, उनको वेतन लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य बिहार सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन उनके लिए लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(3) **महँगाई भत्ताः**– अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य, राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए अनुमान्य दरों पर, अपने वेतन के अनुसार, महँगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

(4) **नगर क्षतिपूरक भत्ताः**– अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर अपने वेतन के अनुसार नगर क्षतिपूरक भत्ता प्राप्त करेंगे।

(5) **यात्रा भत्ताः–** (क) अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर यात्रा एवं दैनिक भत्ते लेने के हकदार होंगे।

(ख) अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते से संबंधित अपने विपत्रों की बाबत स्वयं नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(6) **आवासीय सुविधाः–** अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे।

(7) **चिकित्सीय उपचार की सुविधाः–** अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य समतुल्य पंक्ति के राज्य सरकार के सेवकों के लिए लागू या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल में इलाज कराने के हकदार होंगे।

4. **छुट्टी की अनुमान्यताः–** अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित छुट्टी के हकदार होंगेः–(1) (क) राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को बिहार सेवा सहिता (समय समय पर यथा संशोधित) के संगत नियमों के अनुसार पदाधिकारियों को अनुमान्य दर पर छुट्टी के अनुरूप उन्हें आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, उपार्जित छुट्टी, एवं आधे वेतन पर छुट्टी अनुमान्य होगी।

(ख) राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर असाधारण छुट्टी अनुमान्य दर से प्राप्त करेंगे।

(2) **छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारीः–** (क) अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार सक्षम प्राधिकार होगा।

(ख) उप–सचिव एवं प्रत्येक सदस्य की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होगा।

(ग) आयोग के किसी पदाधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी को छ्ट्टी की स्वीकृत करने के लिए सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।

5. **वाहन सुविधाः–** अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य शासकीय एवं निजी प्रयोजन से यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा विहित वाहन सुविधाओं के हकदार होंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरनाथ मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।

10 दिसम्बर 2014

सं0 स0क0वि0(म0आ0)–60–16/08–2436 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरनाथ मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।

The 10th December 2014

Bihar State Commission for Women (Amendment) Rules, 2014

No. स0क0वि0(म0आ0)–60–16/08–2436—In exercise of the powers conferred by section 17 of Chapter –V of the Bihar State Commission for Women Act, 1999 (Bihar Act 6, 1999) the State Government hereby makes the following Rules to amend The Bihar State Commission for Women Rules, 2010 for regulating the duties and responsibilites of Bihar State Commission for Women, terms and conditions of services, and, providing facilities to employees, officers, members and Chairperson of the Commission :-

1. **Short title, extent and commencement**.—(1) The Rules hereinafter referred to "Rules, 2010" shall be called the Bihar State Commission for Women (Amendment) Rules, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Rule 3, 5 and 6 of the said "Rules 2010" shall be substituted by the following respectively :-

3. **Salaries and Allowances**.—(1) Save as otherwise provided in section 5 of the Act, pay of the Chairperson shall be equivalent to the pay of the Chief Secretary to the State Government and pay of every other member shall be equivalent to that of the secretary to the State Government;

Provided that where the Chairperson or any other Member is a retired government servant, or the retired servant of a semi-government body, public sector undertaking or recognized research institution, pay to him/her shall not be more than pension of pensionary value of retiral benefit, or with both, or last Pay drawn by them.

(2) If the Chairperson or a Member is in service of the State Government, his/her salary shall be regulated in accordance with the rules applicable to him/her.

(3) **Dearness allowance.—**The Chairperperson and every other Member shall receive Dearness Allowance according to their pay at the rates admissible to officers of the equivalent rank of the State Government.

(4) **Compensatory (city) allowance.—**The Chairperson and every other Member shall receive Compensatory city allowance according to their pay at the rates admissible to officers of the equivalent rank of the State Government.

(5) **Travelling Allowance.—(a)** The Chairperson and every other Member shall be entitled to draw travelling allowance and daily allowance at the rates admissible to the officers of the equivalent rank of the State Government.

(b) The Chairperson and every other Member shall be his/her own controlling officer in respect of his/her bills relating to travelling allowances and daily allowances.

(6) Residential accommodation -The Chairperson and every other Member shall be entitled to house rent allowance as determined by the State Government

(7) Facility for medical treatment - The Chairperson and every other Member shall be entitled to medical treatment and treatment in hospital as applicable to the State Government servants of equivalent rank or as determined by the State Government.

4. Leave Admissibility.—The Chairperson and every other Member shall be entitled to the following leave :-

(1) (a) Casual Leave (C.L) , Special Leave (S.L) Earned leave and half-pay leave at the rate admissible to the officers of the equivalent rank of the State Government according to the Bihar Service Rules (as amended from time to time) are admissible to them.

(b) Extraordinary leave at the rates admissible to officers of the equivalent rank of the State Government.

(2) **Leave sanctioning authority.—**(a) The State Government shall be the competent authority to sanction leave to the Chairperson.

(b) The Chairperson shall be the competent authority to sanction leave to every Member and the Dy. Secretary.

(c) The Dy. Secretary shall be the competent authority to sanction leave to any officer or any other employee of the Commission.

5. **Facility for conveyance.—**The Chairperson and every other Member shall be entitled to the facilities of conveyance for journeys for official and private purpose as prescribed by the State Government, from time to time.

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरनाथ मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1029-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in